

संपादकीय

देश भर में किसानों की आत्महत्याओं के समाचार रोज-रोज छपते हैं और आम जनता इसे साधारण बात मानती है, तथा भारतीय किसानों को उप-सहारा के अफ्रीकन देशों के किसानों की तरह ही मानती है। स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्ष होने के बाद भी सरकार अभी भी यही प्रयास कर रही है कि किसानों को सस्ता अनाज दे दिया जाए लेकिन उसमें भी सरकारें असफल रही हैं। संसाधनों का स्थायी रूप से पुनर्वितरण करते रहना कोई अच्छी रणनीति नहीं है। आत्महत्याएँ प्राकृतिक आपदा से नहीं होती बल्कि इन्सान द्वारा उत्पन्न की गई बिमारियों और अतीत में बनी नीतियों और वर्तमान सरकारी नीतियों के कारण हो रही हैं।

देश की उन्नति के सभी दावों की पौल पिछले कुछ वर्षों के सूखे ने खोल दी है। इस सूखे ने सभी सरकारों के झूठे वादों, नेताओं और नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैंने 3 दिन महाराष्ट्र में नागपुर, अमरावती और पुणे की यात्रा की और भारत कृषक समाज के संस्थापक अध्यक्ष और भारत के प्रथम केन्द्रीय कृषि मंत्री, डॉ० पंजाबराव एस. देशमुख जी के गाँव की भी तीर्थ यात्रा की। मुझे उनके घर की दूरदशा देखकर बहुत दुख हुआ और उनके गृह राज्य महाराष्ट्र, देश में किसानों की आत्महत्या का केन्द्रीय बिंदु बन चुका है। इन सभी संसाधनों में जल की अधिकतम कमी है, महाराष्ट्र के कुल जल का 60 प्रतिशत भाग गन्ना उत्पादक उपयोग करते हैं, किंतु खेती योग्य भूमि के केवल 6 प्रतिशत भाग पर खेती करते हैं। अतीत की विभिन्न सरकारों की नीतियों का ही यह परिणाम है।

इस तस्वीर का दूसरा पहलू मेरा मूल राज्य पंजाब है, जहां पर किसान धान के कम मूल्यों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तथा 'सफेद तितली कीटनाशक' के हमले से राज्य की कपास की फसल 80 प्रतिशत तक नष्ट हो चुकी है। कीटनाशक के प्रभावी न होने का मुख्य कारण सरकार द्वारा किसानों को मिलावटी कीटनाशक वितरित करना है। कीटनाशक कपास प्रदर्शन भूखंडों के लिए राज्य सरकार को यह धन दिया गया था जिसकी जगह कीटनाशक खरीद लिया गया। इतना धन दिया गया था कि राज्य में कपास उगाने वाले प्रत्येक गांव में किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियां उपलब्ध कराई जा सकती थी, लेकिन ऐसा न करके राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने रजिस्टर्ड ब्रांड का कीटनाशक खरीदने के लिए निविदाएं जारी कर दी, अर्थात् इस निविदा में कोई अन्य उत्पादक या कंपनी भाग लेने की पात्र नहीं थी। इसकी समाप्ति यहीं नहीं होती, बल्कि उन अधिकारियों ने कीटनाशक छापे हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से भी अधिक दाम पर खरीदा।

श्री सोमपाल शास्त्री, पूर्व केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री

- आर्थिक कारणों और गिरते स्वास्थ्य के कारणों से आम जनता, मझौले किसान और भूमिहिन किसान इस मुद्दे से बहुत चिंतित हैं।
- पशु-पालन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14 प्रतिशत से कम है, और पशुपालन का केवल 4.4 प्रतिशत।
- इसका अर्थ है कि यह कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले उन लोगों के आंकड़े देखें जिनके पास भूमि नहीं है या मझौले किसान अथवा कम भूमि वाले किसान हैं (यह भारत में कुल भूमि का 83-85 प्रतिशत बनता है), वे अपनी आय और पौष्टिक आहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घरों में जो बचत की जाती है या उधार लिया जाता है, उसे पौष्टिक खाने की खरीद में व्यय करना पड़ता है और उसे आय भी माना जाता है।
- 145 मिलियन टन दूध का उत्पादन करने के कारण हम सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं, यह विश्व जनसंख्या का 18.1 प्रतिशत है। दुग्ध उत्पादन से ही राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 2.2 प्रतिशत योगदान है। इसका कुल मूल्य चावल और गेहूं दोनों के मूल्य से काफी अधिक है। यदि हम डेरी क्षेत्र में लगे प्रति व्यक्ति की उत्पादकता भूमि की प्रति एकक उत्पादकता और उत्पादन की गणना करें तो डेरी और पशुपालन को अधिकतम अंक मिलते हैं। इस उद्योग से हमें उत्तम लाभ मिल सकता है जिसे अर्थशास्त्र में वृद्धि-आत्मक पूंजी उत्पादन मात्रा का अनुपात कहा जाता है।
- जैविक क्षेत्र में भी इस उद्योग के लिए काफी संभावनाएँ हैं, जो उपयोगी सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसके आंकड़े अभी तक तैयार नहीं किये जा सके हैं।
- मैंने अमेरिका का दौरा किया था। वहाँ पर एक जनरल अकाउंटिंग ऑफिस ऑफ अमेरिका है, जो प्रत्येक फसल कटने के बाद व्यापक सर्वेक्षण करता है और पता लगाता है कि भूमि की सूक्ष्म पौष्टिकता में कितनी कमी आई है। यदि कमी अधिक होती है तो वह इसमें मूल्य जोड़ देते हैं और इसे कृषि उत्पादन द्वारा अर्जित बड़े हुए मूल्य में से कम कर देते हैं और उसके बाद शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। हमें भारत में भी इसे आरंभ करने की आवश्यकता है। भूमि की पौष्टिकता में कितनी कमी और क्षति हो रही है इसकी बिलकुल भी गणना नहीं की जा रही है। हमारे आंकड़ों और व्यावहारिक अध्ययन के बीच यह गंभीर दूरी है।
- मुझे उर्वरक वितरण की विधि में बहुत संशय नजर आता है। पिछले वर्ष उर्वरक क्षेत्र को रु. 67,000/- करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई थी। इसका अधिकतम भाग यूरिया पर खर्च हुआ। इसका एक ही कार्य था, नाइट्रोजन की आपूर्ति करना। यह मानव स्वास्थ्य पर्यावरण और भारी मात्रा में लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रही है, इसकी मात्रा का अभी तक अंदाजा या गणना नहीं की गई है। मालवा क्षेत्र में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक के उपयोग से आस-पास के गांव में कैंसर जैसी बिमारी फैलती जा रही है।

इसके स्थान पर पशु मूत्र विशेष विकल्प हो सकता है, अर्थात् यूरिया का उपयुक्त विकल्प है गाय का मूत्र, विशेषकर जब इसे 10 प्रतिशत तरल कर लिया जाए, यह वही प्रभाव दिखाएगा, किंतु पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। यह उपयोगी विधि है जो इस क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

- मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले और पौष्टिक तत्वों की कमी के आंकड़ों की कमी को अभी तक एकत्रित नहीं किया गया है। हम भूमि, पौधों की सेहत, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए कोई विधिपूर्वक अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। इसकी क्षति को राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में से कम करना चाहिए, तो ही हम मूल्य संवर्धन या मूल्य प्राप्ति के वास्तविक आंकड़े जान पाएंगे।
- अभी भी भूमि के अधिकतम भाग पर ड्रॉपट बिजली से ही खेती की जा रही है। वर्ष 1974-75 में बिजली के ड्रॉपट आंकड़े 44,000 मेगावाट के लगभग थे। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वसनीय और मूल्यवान अनुसंधान नहीं किया गया जिससे यह पता चल सके कि पशुओं के उपयोग से कितनी सुरक्षा हो सकती है।
- डेरी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या कृषि स्तर पर सूक्ष्म या कम अर्थव्यवस्था है। यह बहुत अच्छी नहीं है, केवल 2 प्रकार के किसान ही इस क्षेत्र से लाभ उठा पा रहे हैं – वह परिवार जिन्होंने पशु पाल रखे हैं या बड़े किसान, जो बाजार में सीधे ही अपना उत्पादन बेचते हैं। अन्य सभी किसान संकट में हैं। दूसरा पहलू यह है कि उन लोगों को क्या मिलता है जो अपना दूध डेरी फार्म से 5, 10 या 20 कि.मि. दूर बेचते हैं? वह रु. 50 प्रति किलो लेते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसका अध्ययन नहीं किया है। इस प्रकार से दूध बेचने वालों को मिलने वाले मूल्य लाभ को वास्तविक दूध उत्पादकों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। देखने और सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है।
- वर्ष 1984 और 1992 के बीच गेहूं का मूल्य रु. 85 से बढ़कर रु. 375 प्रति क्विंटल तक कर दिया गया, किंतु इसी अवधि में ऐन.डी.डी.बी. ने किसानों को दूध का मूल्य रु. 4.20 से केवल रु. 5.60 ही किया। उन दिनों में सरकारी नीतियों के कारण कृषि अर्थव्यवस्था को अत्यधिक हानि हुई। तत्कालीन सरकार ने ऐन.डी.डी.बी. को एकाधिकार दे दिया था। उन्होंने निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी थी। मैंने वर्ष 1998-99 में ऐम.एम.पी. को समाप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता की थी।
- ऐन.डी.डी.बी., उत्तर-प्रदेश सरकार और मदर डेरी केवल 1,72,000 लीटर दूध ही उठा पाई, बाकी दूध निजी क्षेत्र के हाल पर छोड़ दिया गया।
- अच्छे पशु और बेहतर स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरे हरियाणा में पशुओं का एक्स-रे करने की मशीन या पशुओं को लाने ले जाने के लिए कोई मोबाइल वैन तक नहीं है। उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, किंतु बड़ी मात्रा में नहीं। उत्पादकता की वृद्धि दर कम हो चुकी है और यह एक अत्यंत चिंताजनक विषय है।

- भारत में संकरण नस्ल (क्रॉस-ब्रीड) पशुओं को तैयार करना एक चुनौती पूर्ण प्रश्न है। न तो अच्छे पशु उपलब्ध हैं और न ही इनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ। देसी पशुओं की अच्छी रोग-प्रतिरोधक क्षमता और मजबूती है तथा भारतीय परिस्थितियों में रहने की अच्छी क्षमता भी है और उनका दूध अधिक फ़ैटपूर्ण होता है। यह सभी मुद्दे अर्थव्यवस्था और जीवन निर्वाह से संबंधित हैं।
- एक अन्य अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, किंतु उसका उल्लेख नहीं किया जाता, वह है बीटा कैसिंग मामले। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सरकार पर दबाव बनाकर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए बीटा कैसिंग **A1** दूध पीने पर प्रतिबंध लगवा दिया। इसके पीने से कई बिमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जड़त्व (आर्टिज्म) और हृदय रोग। किंतु **A2** दूध बिमारियों से बचाने में सहायक है।
- बैल, सांडों की बिक्री : असमाजिक तत्व पशुओं का आंदोलन चलाने की ओर अग्रसर हैं, जिसमें दूध देने वाली गाय भी शामिल है, लेकिन ऐसे पशुओं को बूचडखाने में नहीं ले जाना चाहिए। हम बातें तो विश्व बाजार की करते हैं, किंतु हमारे पास न तो संगठित बाजार है, न ही कोई मानदंड।
- डेरी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मानना अभी भी किसी भी भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है।
- देसी नस्लों को सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। हमारे देश की तुलना में क्यूबा के देसी पशु बेहतर हैं। संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे विधिपरक रूप से उन्नत करना होगा।
- उत्पादकता में गंभीर असंतुलन का एकल पहलू है : सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता।

श्री रमेश रावल, कार्यकारी उपाध्यक्ष और न्यासी, बैफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान

भारत में छोटे, मझौले और भूमिहीन किसानों की आजीविका के लिए डेरी खेती में परिवर्तन करना।

परिवर्तन की आवश्यकता

सकल घरेलू उत्पाद और कृषि सकल उत्पाद में पशुपालन व्यवसाय के भाग निरंतर वृद्धि हो रही है। देखा जा सकता है कि पशुपालन कार्यों में किसानों की रुचि बढ़ती जा रही है। डेरी किसानों को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे डेरी खेती को आय अर्जन हेतु डेरी उद्योग

बना सकें। बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, केवल कुशल डेरी उत्पादक ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसका कारण मजदूर और उपभोक्ता बाजारों के रुझान में परिवर्तन हो रहा है।

रासायनिक/मैकेनिकल कृषि

शहरीकरण और बढ़ती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के कारण मध्यवर्ग की आय में तेजी से वृद्धि हुई है। इस कारण दूध और दूध के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। कृषि परंपराओं में उल्लेखनीय विविधिकरण आया है, विशेषकर डेरी खेती के क्षेत्र में। गैर आहार कार्यों और कृषि कार्यों के क्षेत्र में आजकल लोगों की रुचि पूरी तरह से दूध देने वाले पशुओं और अन्य पशुओं को पालने में बढ़ रही है।

भारतीय डेरी उत्पादकों की विशेषताएँ

- डेरी खेती कृषि का अभिन्न अंग है। कृषि क्षेत्र के घरेलू सकल उत्पाद में पशुधन का 30 प्रतिशत योगदान है और इसमें प्रमुख भाग डेरी खेती का है।
- 90 प्रतिशत से अधिक डेरी उत्पादक 1-3 दूध देने वाले पशु पालते हैं और इस क्षेत्र में बड़ी भागीदारी की अपार संभावनाएँ हैं। कुल भूमि क्षेत्र के 5 प्रतिशत भाग पर चारा उगाया जाता है – इस क्षेत्र को भी विकसित करने की आवश्यकता है।
- यह पाया गया है कि दूध देने वाले पशुओं के मालिकों के पास कम भूमि होती है जबकि कृषि कार्यों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र में ध्यान देने से लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है।
- दूध क्षेत्र में दूध उत्पादन का 53 प्रतिशत भाग भैंसों के दूध का है लेकिन उन्हें नकारा गया है। इस क्षेत्र में ध्यान देकर और आधुनिक तकनीक अपनाकर लाभ अर्जित करने की संभावनाएँ हैं।

हमें अपनी विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों को समझने की आवश्यकता है और उस परिस्थिति के अनुसार कृषि विधियाँ अपनाने की आवश्यकता है। देसी नस्ल और क्रॉस-ब्रीड के साथ भैंसों को मिलाकर डेरी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और छोटे किसानों की आय भी बढ़ाई जा सकती है।

बैफ का दृष्टिकोण

वितरण और जैविक संसाधनों के स्थान पर पशुओं और भैंसों की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आनुवांशिक सुधारों के माध्यम से संसाधनों का विकास किया जा सकता है, जैसे कार्यक्रम उन्मुखी के स्थान पर पारिवारिक कारोबार, जो व्यापक और समेकित

दिशा में हो। उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान न देकर लोगों के द्वारा नवीनतम तकनीक अपनाने से उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, यही दृष्टिकोण अपनाना होगा।

उत्पादकता बढ़ाना – उन्नत डेरी कृषि विधियों के माध्यम से

- डेरी उत्पादन और पुनः उत्पादन के रिकॉर्ड का रख-रखाव और उपयोग।
- सही प्रकार के नस्ल वाले बैलों या सांडों के वीर्य का उपयोग।
- माल की समय पर छंटाई और परिवर्तन।
- सस्ता चारा।
- ऐल.पी.एम. में प्रशिक्षण और डेरी उद्योग का अर्थशास्त्र / सिद्धांत।

डेरी उद्योग

- एक ही समय पर प्रति पशु की उत्पादकता बढ़ाना।
- दूध उत्पादन की लागत में कमी करना।
- बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना।
- संचालन कार्यों में नई तकनीक, प्रबंधन और वित्तीय धारणाएँ शामिल करना।
- उच्च लाभ सुनिश्चित करना।
- उचित रिकॉर्ड और आई. ऐण्ड ई. रखना।

एन्डरियाज हरमस अकादमी और डॅयर बोरनवरबैंड के साथ 'किसान सशक्तिकरण' विषय पर कार्यशाला – सबसे बड़ी जर्मन किसानों की संस्था।

नई दिल्ली, 18–19 अक्टूबर, 2015

'स्थायी कृषि विकास के लिए ग्रामीण संस्थाओं को मजबूत करने की पहल' विषय पर किसान कार्यशाला।

प्रमुख वक्ता:

- डॉ० एन्डरियाज क्यूरिंग, सी.ई.ओ., एन्डरियाज हरमस अकादमी
- श्री ऐरिक जिगलर, वरिष्ठ प्रशिक्षक
- डॉ० अशोक गुलाटी, कृषि के लिए इंफोसिस अध्यक्ष प्रौफेसर, आई.सी.आर.आई.ई.आर
- डॉ० जी.वी. रमनजेनेयूलू, कार्यकारी निदेशक, स्थायी कृषि के लिए केन्द्र

विभिन्न किसान संस्थाओं (14 राज्य) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

- डॉ० डी.एस. भूपल, प्रकृति मानव हितेशी कृषि अभियान
- श्री कौशलेन्द्रा, कौशल्य फाऊंडेशन
- श्रीमति सुदेश मलिक, कीट शाक्षरता केन्द्र
- श्री रामभदरन गोपालन, भाईकाका कृषि केन्द्र
- श्री अविनाश पुंडलिक काकडे, किसान अधिकार अभियान
- श्री सी.एच.एस.एस. राजा कुमार अंबाती, रयतू स्वाराज्य वेधिका
- श्री अमित कुमार अग्रवाल, फॉर्मप्यूर प्रौडक्शन
- श्री वैकटेसन श्रीनिवासन, करमनगुडी को-ऑपरेटिव सोसाईटी
- श्रीमति मधुलिका राठौर, मैत्रिका फाऊंडेशन
- श्री सीबी जै. मोनोपल्ली, भारतीय रबर उत्पादकों एसोसिएशन
- डॉ० मिकटुक एस. फोनिंग, कलिम्पोंग बागवानी सोसाईटी
- श्री रोमुल्डु वलेरियानु मेनेजिस, लौटोलिम सहकारी दूध सोसाईटी
- श्रीमति अनिता पॉल, पैन हिमालयन ग्रॉसरुट्स डैवलपमेंट फाऊंडेशन
- श्री नवीन कुमार रामसैत्ती, तेलंगाना रयतू जी.ऐ.सी.
- श्री कायम नारायना रेड्डी, बालाजी को-ऑपरेटिव बागवानी सोसाईटी
- श्री सुमंत कुमार, जीन कैम्पेन
- श्री आर. रामाचंदरन, सैनजेरिमलायाडी पलायम फॉर्मर्स सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाईटी